न्यायालय भूमि सुधार उप– समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 92/2021–22

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1 21/6/22		

आवेदक (1) प्रीतम मार्टिन बेक, पिता स्व0 मंगरा उराँव, (2) दानिएल बेक, पिता स्व0 बलका बेक, जाति उराँव, ग्राम – कलिगा, थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरणी

राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन किस्म
कलिगा	141	68	1530	0.40 एकड़	

कुल रकबा 0.40 (चालीस डिसमील)

प्लॉट सं0 1530 का चौहदी :– उत्तर में – नोवेल भुषण मिंज एवं पालिना मिंज, दक्षिण में – दिलीप बेक, पूरब में – नीज केता, पश्चिम में – अनिल साहु वो जुमेश्वर साहु।

जमीन विकेता का विवरणी

(1) प्रीतम मार्टिन बेक, पिता स्व0 मंगरा उराँव, (2) दानिएल बेक, पिता स्व0 बलका बेक, जाति उराँव, ग्राम – कलिगा, थाना – बसिया जिला–गुमला

जमीन केता का विवरणी

डेविड सुनील कुमार मिंज, पिता – स्व0 संतोष मिंज, जाति उराँव, ग्राम – बम्बियारी, थाना – बसिया, जिला गुमला ।

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित केता डेविड सुनील कुमार मिंज, पिता – स्व0 संतोष मिंज, जाति उराँव, ग्राम – बम्बियारी थाना – बसिया, जिला– गुमला से राशि 2,00,000 (दो लाख) रूपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रूपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की

k.

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 211(ii) दिनांक 21/06/2022 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास प्रर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति खड़िया के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक (1) प्रीतम मार्टिन बेक, पिता स्व0 मंगरा उरॉव, (2) दानिएल बेक, पिता स्व0 बलका बेक, जाति उरॉव, ग्राम – कलिगा, थाना – बसिया, जिला–गुमला को उपरोक्त वर्णित अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा [illegible] प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बसिया (गुमला)

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.16 14:16:59 +05:30
Location: 192.168.1.10